

अनुमति की शर्तें ।

- (1) जहाँ भवन/युज्य के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक राजकीय व्यक्तित्व या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अनिर्णय के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेंगे ।
- (4) स्वीकृत नगम के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

समान स्थिति केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 737 दिनांक 22/10/2020
 बाधीया जीमी मंडमूरा बंगला आवासीय w/o श्री मोहम्मद राजान
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नं. 153/A जम्मल नेशनल
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय हिंदीय विस्तार योजना
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9750/- (नौ हजार)
 जरिये रसीद संख्या 9069/9961, 9962
 दिनांक 22/10/2020 को जमा करा दी है ।

22/10/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Samsul
 22/10/20
 9913247650